

- **देशों के लिये सामान्य आधार:** अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि IPEF कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है; न ही यह टैरिफ में कटौती या बाजार पहुँच बढ़ाने पर कोई चर्चा करेगा। इससे इस ढाँचे की उपयोगिता के बारे में सवाल उठते हैं।
 - इसके चार स्तंभ भी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे फरि यह प्रश्न उठता है कि क्या इसके 13 सदस्य देशों (जो बेहद अलग-अलग आर्थिक व्यवस्था के अंग हैं) के मध्य साथ मिलकर एक समान मानकों को तय करने के लिये पर्याप्त साझा आधार मौजूद है या वे उन मुद्दों पर वचिार करने के लिये तैयार हैं जो प्रत्येक देश के लिये भिन्न-भिन्न हैं।
- **भारत का पारंपरिक रुख:** IPEF के तहत चिह्नित किये गए कुछ क्षेत्रों में प्रगत के मामले में भारत के पारंपरिक रुख से बार-बार वचिलन की स्थिति बन सकती है।
 - ऐसा नहीं होना चाहिये कि भारत के वारताकार वकिसति देशों के प्रतभागियों की कसि भी मांग को सरलता से स्वीकार कर लें।
- **कराधान:** कर प्रावधान एक अन्य वषिय है जो समस्या पैदा कर सकता है। कराधान को एक संप्रभु कार्य के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है और इसलिये इसे समझौता वारता के अधीन नहीं कया जाता है।
- **व्यवसायों के अनसुने वचिार:** उन भारतीय व्यवसायों के वचिार प्रायः नहीं सुने जाते हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रतसिपर्द्धी बनने की क्षमता रखते हैं। उन व्यवसायों की बात सुनी जाती है जो प्रतसिपर्द्धा से भयभीत हैं और असततिव बनाए रखने के लिये संरक्षणवाद के पक्ष में पैरवी करते हैं।
 - नए एकीकरण के समर्थन में भारतीय व्यवसाय को गतशील बनाने की भी आवश्यकता है।
- **जटलि वारता प्रकरिया:** व्यापार वारता में कई मंत्रालय शामिल होते हैं, जो फरि बोझलि अंतर-मंत्रालयी परामर्श में संलग्न होते हैं। वारताओं में नेगोशिएशन इतनी जटलि प्रकरिया होती है कि अकेले कसि मंत्रालय द्वारा प्रबंधति नहीं की जा सकती क्योकि उनके ऊपर पूर्व के कार्यों का भी भर रहता है।
- **IPEF की वशि्वसनीयता:** इस तथ्य को देखते हुए कि अमेरिका की पछिली पहलों—[ब्लू डॉट नेटवरक](#) और [बलिड बैंक बेटर वरलड](#) (B3W) ने इस भूभाग की ढाँचागत आवश्यकताओं की पूरत के मामले में बहुत कम प्रगत की है, IPEF को वशि्वसनीयता की चुनौती का सामना पड़ेगा।

आगे की राह

- **साझा मानकों की स्थापना:** तात्कालिक ध्यान साझा मानकों को स्थापति करने पर होना चाहिये, जो भवषिय में गहन एकीकरण का आधार बन सकते हैं।
 - इस तरह के मानकों में श्रम अधिकार, पर्यावरण मानक, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण और डिजिटल अर्थव्यवस्था को दायरे में लेने वाले नयिम शामिल होंगे।
- **आत्मनरिभरता और वैश्वीकरण को संतुलति करना:** सरकार ने बार-बार स्पष्ट कया है कि 'आत्मनरिभरता' का आशय अलगाव और संरक्षणवाद नहीं है।
 - इसके साथ ही, भारत ने हमेशा वदिशी नविश को आकर्षति करने और वैश्विक आपूर्त शृंखला का हसिसा बनने की इच्छा व्यक्त की है।
 - यह सही दृषटिकोण है और वशि्वसनीय आपूर्त शृंखला का नरिमाण IPEF एजेंडा का एक स्पष्ट अंग है।
- **कराधान के मुद्दे का प्रबंधन:** भारत को वशिषज्जों और राजस्व वभिग को संलग्न करते हुए अपने कर प्रशासन की आंतरिक समीक्षा शुरु करनी चाहिये ताकि आवश्यक बदलाव लाए जा सकें।
 - यह एक व्यापारिक भागीदार के रूप में और वशिष रूप से नई आपूर्त शृंखलाओं में नविश हेतु एक गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाएगा।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों को संबोधति करना:** डिजिटल व्यापार एवं ई-कॉमर्स IPEF के तहत शामिल एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर वकिस और अनुप्रयोग में भारत के तुलनात्मक लाभ को देखते हुए वांछनीय होगा कि नयिमों की एक सहमत शृंखला वकिसति की जाए जसि समान वचिारधारा वाले देशों में लागू कया जा सकता है।
 - पारदर्शति, नषिपक्ष प्रतसिपर्द्धा की आवश्यकताएँ और व्यक्तगित डेटा का स्वामतिव एवं स्थानीयकरण जैसे कई वविवादास्पद मुद्दे भी मौजूद हैं।
 - एक वैश्विक सर्वसम्मति के नरिमाण के लिये रचनात्मक भूमिका नभिाई जानी चाहिये।
- **व्यापार वारता को सरल बनाना:** जटलि व्यापार वारता प्रकरिया को देखते हुए, संबधति मंत्रालयों के साथ परामर्श करने और गुण-दोषों के मूल्यांकन के साथ प्रधानमंत्री एवं प्रमुख मंत्रियों को रपिर्ट करने के लिये एक सशक्त व्यापार वारताकार की आवश्यकता है।
 - नीतिआयोग को व्यापक वचिार-वमिर्श करने और राज्य सरकारों सहति हतिधारकों की राय जानने के लिये प्रेरति कया जाना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: भारत, जो न तो RCEP का अंग है और न ही CPTPP से संलग्न है, के लिये IPEF का शुभारंभ हदि-प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापार और आर्थिक संलग्नता को बढ़ाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। टपिणी कीजिये।